

# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

यू0पी0सी0एल0 के वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कार्य निष्पादन समीक्षा (APR) तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) एवं टैरिफ याचिका पर टैरिफ आदेश : मुख्य बिन्दु

1. यू0पी0सी0एल0 द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को वित्तीय वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (Annual Performance Review) एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) व खुदरा विद्युत मूल्यों के निर्धारण हेतु पिटिशन प्रस्तुत की गयी। तथापि यू0पी0सी0एल0 द्वारा इन पिटिशन में संप्रेक्षित लेखों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013–14 के सहीकरण (truing up) हेतु भी अनुरोध किया गया था।
2. यू0पी0सी0एल0 द्वारा विद्युत क्रय लागत एवं अन्य खर्चों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु 17.34% वितरण हानि के आधार पर कुल धनराशि रू0 5443.22 करोड़ वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) प्रक्षेपित की गयी थी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2013–14 के सहीकरण (truing up) को सम्मिलित करते हुए दर्शित धनराशि रू0 1131.39 करोड़ के राजस्व अन्तर की वसूली के लिए यू0पी0सी0एल0 द्वारा औसत टैरिफ दरों में लगभग 26.24% की वृद्धि प्रस्तावित की गयी थी।
3. वर्तमान टैरिफ आदेश में यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तुत याचिका एवं तदोपरान्त उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर आयोग द्वारा निम्न अनुमोदन किये गये:—
  - (1) वित्तीय वर्ष 2013–14 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर अन्तिम सहीकरण (truing up)।
  - (2) वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु टैरिफ निर्धारण।
4. यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के परीक्षणों के आधार पर आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) रू0 4590.88 करोड़ निर्धारित किया गया है। उक्त (ARR) में वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तिम सहीकरण के फलस्वरूप आंगणित धनराशि के समायोजनोपरान्त अनुमोदन किया गया है। आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ दरों के आधार पर रू0 305.45 करोड़ का राजस्व की कमी आंकलित की गयी है। इस राजस्व की कमी धनराशि रू0 305.45 करोड़ को पूर्ण करने के लिए वार्षिक टैरिफ को 7.13% की वृद्धि की जानी आवश्यक थी।
5. यू0पी0सी0एल0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्रक्षेपित 17.34% वितरण हानि के सापेक्ष आयोग द्वारा 15.00% वितरण हानि अनुमोदित की गई है।

6. आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं का टैरिफ पुर्ननिर्धारण करते समय प्रयास किया गया कि सभी श्रेणियों में क्रॉस-सब्सिडी को कम रखा गया।
7. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) का विवरण निम्नानुसार है:-

**तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) (रु० करोड़ में)**

क्र०सं०	विवरण	अनुमानित	अनुमोदित
<b>A</b>	<b>खर्च</b>		
1	विद्युत क्रय पर खर्च	3483.76	3274.39
2	पारेषण शुल्क- PGCIL	226.55	226.72
3	पारेषण शुल्क -PTCUL	238.70	295.30
4	एस०एल०डी० चार्ज	-	7.45
5	Cost to meet RPO	98.78	-*
6	O&M व्यय	537.05	491.52
7	ब्याज और वित्त प्रभार	184.07	139.44
8	मूल्यह्रास	151.94	94.54
9	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	21.03	8.38
<b>B</b>	<b>कुल खर्च</b>	<b>4941.88</b>	<b>4537.74</b>
	अन्य व्यय/विनियोजन		
1	लाभांश	211.03	48.88
2	अशोध्य ऋणों हेतु प्रावधान	0.00	0.00
<b>C</b>	<b>कुल व्यय</b>	<b>5152.91</b>	<b>4586.62</b>
10	घटाया: गैर टैरिफ आय	95.38	73.54
<b>D</b>	<b>वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता</b>	<b>5057.32</b>	<b>4513.08</b>
<b>E</b>	<b>जोड़: विगत वर्षों का समायोजन</b>		
	वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तिम सहीकरण किये जाने पर अतिरिक्त कमी/आधिक्य	385.70	(77.30)
	यू०जे०वी०एन० लि०के गत वर्षों के सहीकरण किये जाने पर अतिरिक्त कमी/आधिक्य		155.10
<b>F</b>	<b>वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु समायोजित ए०आर०आर०</b>	<b>5443.22</b>	<b>4590.88</b>
<b>G</b>	<b>वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वर्तमान टैरिफ पर कुल आय</b>	<b>4311.8</b>	<b>4285.43</b>
<b>H</b>	<b>वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर की वसूली</b>	<b>1131.39</b>	<b>305.45</b>

### वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु रिटेल टैरिफ के मुख्य बिन्दु:

- आयोग द्वारा यू०पी०सी०एल० के टैरिफ वृद्धि प्रस्ताव 26.24% के सापेक्ष लगभग 7.1% की वृद्धि अनुमोदित की गई है।
- यू०पी०सी०एल० के प्रस्ताव के अनुरूप 30 जून, 2015 तक सभी उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किये जाने के आश्वासन पर आयोग द्वारा अमीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ निर्धारित नहीं किया गया है। इस अन्तरावधि में यू०पी०सी०एल० द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं की बिलिंग 'नये संयोजनों में बिलिंग या अनमीटर्ड मामले में संपरिवर्तन' के आधार पर की जाएगी।

- आयोग द्वारा हिमाच्छादित उप-श्रेणी को यथावत् रख गया है, जबकि यू0पी0सी0एल0 ने अपने टैरिफ प्रस्ताव में इस श्रेणी को समाप्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया था।
- लाइफ-लाइन उपभोक्ताओं के लिए स्थिर प्रभार रू0 4/संयोजन/माह की वृद्धि की गई है जबकि इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के विद्युत मूल्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- आयोग द्वारा घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु स्थिर प्रभार को उनके उपभोग के आधार पर निर्धारित किया गया है। राहत के रूप में छोटे घरेलू उपभोक्ताओं, जिनका उपभोग 100 यूनिट तक है को परिवर्तित नहीं किया गया है।
- आर0टी0एस0-2 श्रेणी में "स्वतन्त्र विज्ञापन होर्डिंग" के लिए अलग टैरिफ का प्रावधान किया गया है।
- कृषि सम्बद्ध सेवाओं जैसे नर्सरी, पॉलीहाउस जिसमें कृषि उपज के भंडारण एवं संरक्षण के अतिरिक्त किसी प्रकार की प्रोसेसिंग न की जाती हो, हेतु आर0टी0एस0-4 से आर0टी0एस0-4(ए) में नई उप श्रेणी सृजित की गई है।
- आयोग द्वारा आपूर्ति तथा टैरिफ की गुणवत्ता के भेद को स्वीकार करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के Public Water Works (PWW) उपभोक्ताओं एवं पब्लिक लैंप्स में स्थिर प्रभारों में अन्तर रखा गया है। यद्यपि विद्युत मूल्य समान रखा गया है।
- एच0टी0 औद्योगिक उपभोक्ताओं को लोड फैक्टर के आधार पर टैरिफ के 3 स्लैब से 2 स्लैब किये गये हैं। प्रथम स्लैब में 40% तक लोड फैक्टर के एच0टी0 औद्योगिक उपभोक्ता सम्मिलित होंगे तथा द्वितीय स्लैब में 40% से अधिक लोड फैक्टर के एच0टी0 औद्योगिक उपभोक्ता सम्मिलित होंगे।
- औद्योगिक उपभोक्ता, जो कि वर्तमान में अविरल आपूर्ति उपभोक्ता है, में जारी रहना चाहते हों तो उन्हें निरन्तर आपूर्ति हेतु पुनः आवेदन नहीं करना होगा।
- अन्य उद्योग भी अब 15% विद्युत मूल्य के प्रभार भुगतान पर निरन्तर विद्युत की आपूर्ति हेतु विकल्प दे सकते हैं। ऐसे इच्छुक उपभोक्ता, आपूर्ति हेतु 30 अप्रैल 2015 तक आवेदन कर सकते हैं।
- वे उपभोक्ता जो प्रीपेड मीटरिंग प्राप्त कर रहे हैं उन्हें विद्युत प्रभार पर घरेलू श्रेणी में 4% तथा अन्य एल0टी0 उपभोक्ता को 3% की छूट पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।

- आयोग द्वारा यू0पी0सी0एल0 को सामान्य सुधार हेतु निम्न विषयों पर ठोस कार्य योजना प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है:-
  - AT&C हानि को कम किया जाना।
  - दोषयुक्त मीटरों को बदला जाना।
  - कलैक्शन सिस्टम में सुधार किया जाना।
  - एरियर रिकवरी में सुधार किया जाना।
  - अशोध्य ऋणों का वर्गीकरण तथा अपलेखित किया जाना।
  - एनर्जी ऑडिट किया जाना।
- आयोग द्वारा बेहतर विद्युत संपरीक्षा के उद्देश्य से तथा सी0ई0ए0 के विनियमों के अर्न्तगत सभी नये संयोजनों को सही मीटरों से जारी किये जाने हेतु यू0पी0सी0एल0 को निर्देश दिये गये है।
- घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत मूल्य में निम्नानुसार वृद्धि की गयी है:-
  - प्रथम 100 यूनिट्स तक – रू0 0.10/यूनिट
  - 101-200 यूनिट्स तक – रू0 0.20/यूनिट
  - 201-300 यूनिट्स तक – रू0 0.45/यूनिट
  - 301-400 यूनिट्स तक – रू0 0.45/यूनिट
  - 401-500 यूनिट्स तक – रू0 0.50/यूनिट
  - 500 यूनिट्स से अधिक पर – रू0 0.50/यूनिट
- एल0टी0 उद्योगों एवं अघरेलू श्रेणी हेतु न्यूनतम उपभोग गारंटी (MCG) को 60 kWh (अथवा kVAh) /kW (अथवा kVA)/ प्रतिमाह से कम कर 50 kWh (अथवा kVAh) /kW (अथवा kVA)/प्रतिमाह कम किया गया है।
- निजी नलकूप (PTW) उपभोक्ताओं हेतु MCG 70 kWh/BHP/प्रतिमाह अथवा 840 kWh/BHP/वार्षिक से कम कर 60 kWh/BHP/प्रतिमाह अथवा 720 kWh/BHP/वार्षिक की गई है।
- माह में प्रतिदिन 18 घण्टे की न्यूनतम औसत आपूर्ति प्राप्त नहीं किये जाने की दशा में एच0टी0 औद्योगिक उपभोक्ताओं का डिमान्ड चार्ज उस माह में 80% लगाया जायेगा।
- उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों हेतु दिनांक **01.04.2015** से लागू फुटकर टैरिफ का विवरण निम्नानुसार है:-

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु श्रेणीवार वर्तमान, प्रस्तावित तथा अनुमोदित टैरिफ

आर0टी0एस0-1: घरेलू

तालिका 2 : घरेलू उपभोक्ताओं हेतु प्रभार

क्र० सं०	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0-1: घरेलू						
1.1	लाईफ-लाईन उपभोक्ता	Rs. 7/ Connection	Rs. 1.50/kWh	Rs. 10/ Connection	Rs. 1.90/kWh	Rs. 11/ Connection	Rs. 1.50/kWh
1.2	अन्य घरेलू उपभोक्ता						
(i)	0-100 यूनिट्स / माह	4 KW तक रू० 35 /संयोजन एवं 4 KW से अधिक पर रू० 90 /संयोजन	Rs. 2.30/kWh	4 KW तक रू० 45 /संयोजन एवं 4 KW से अधिक पर रू० 120 /संयोजन	Rs. 2.90/kWh	Rs.35/ Connection	Rs. 2.40/kWh
(ii)	101-200 यूनिट्स / माह		Rs. 2.70/kWh		Rs. 3.40/kWh	Rs.50/ Connection	Rs. 2.90/kWh
(iii)	201-300 यूनिट्स / माह		Rs. 3.35/kWh		Rs. 4.20/kWh	Rs.70/ Connection	Rs. 3.80/kWh
(iv)	301-400 यूनिट्स / माह		Rs. 3.35/kWh		Rs. 4.20/kWh	Rs.95/ Connection	Rs. 3.80/kWh
(v)	401-500 यूनिट्स / माह		Rs. 3.50/kWh		Rs. 4.40/kWh	Rs.120/ Connection	Rs. 4.00/kWh
(vi)	500 से ऊपर यूनिट्स / माह		Rs. 3.50/kWh		Rs. 4.40/kWh	Rs.145/ Connection	Rs. 4.00/kWh
2	एकल बिन्दु थोक आपूर्ति	Rs. 35/kW	Rs. 3.15/kWh	Rs. 45/kW	Rs. 4.00/kWh	Rs. 40/kW	Rs. 3.40/kWh

आर0टी0एस0-1 ए : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती प्रभार

तालिका 3 : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती टैरिफ

क्र० सं०	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0-1 ए : हिमाच्छादित						
1	घरेलू	Rs. 7/ Connection	Rs. 1.50/kWh	Not Proposed		Rs. 11/ Connection	Rs. 1.50/kWh
2	1 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 7/ Connection	Rs. 1.50/kWh	Not Proposed		Rs. 11/ Connection	Rs. 1.50/kWh
3	1 किलो वाट से ऊपर व 4 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 7/ Connection	Rs. 2.15/kWh	Not Proposed		Rs. 11/ Connection	Rs. 2.25/kWh
4	4 किलो वाट से ऊपर के अघरेलू	Rs. 14/ Connection	Rs. 3.25/kWh	Not Proposed		Rs. 20/ Connection	Rs. 3.40/kWh

आर0टी0एस0-2 : अघरेलू टैरिफ

तालिका 4 : अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ

क्र० सं०	विवरण	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ			अनुमोदित		
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	एम0सी0जी0	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	एम0सी0जी0	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	एम0सी0जी0
1	सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों एवं चिकित्सालयों आदि									
1.1	25 किलो वॉट तक	Rs. 35/ kW	Rs 3.85/ kWh		Rs. 45/ kW	Rs 4.90/ kWh		Rs. 40/ kW	Rs 4.05/ kWh	
1.2	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 35/ kVA	Rs 3.45/ kVAh	60 kVAh /kVA /month & 720 kVAh/ kVA/annum	Rs. 45/ kVA	Rs 4.50/ kVAh	60 kVAh /kVA /month & 720 kVAh/ kVA/annum	Rs. 45/ kVA	Rs 3.65/ kVAh	50 kVAh /kVA /month & 600 kVAh/ kVA/annum
2	अन्य अघरेलू उपभोक्ता									
2.1	4 कि०वॉ० तक तथा उपभोग 50 यूनिट्स तक प्रतिमाह	Rs. 35 / kW	Rs 4.00/ kWh		Rs. 45 / kW	Rs 5.10/ kWh		Rs. 45 / kW	Rs 4.20/ kWh	
2.2	अन्य 25 किलोवॉट तक जो ऊपर 2.1 में शामिल नहीं	Rs. 35 / kW	Rs 4.55/ kWh		Rs. 45 / kW	Rs 5.75/ kWh		Rs. 45 / kW	Rs 4.85/ kWh	
2.3	25 किलोवॉट से ऊपर	Rs. 35 / kVA	Rs 4.55/ kVAh	60 kVAh /kVA /month & 720 kVAh/ kVA/ annum	Rs. 45 / kVA	Rs 5.75/ kVAh	60 kVAh /kVA /month & 720 kVAh/ kVA/ annum	Rs. 45 / kVA	Rs 4.75/ kVAh	50 kVAh /kVA /month & 600 kVAh/ kVA/ annum
3	75 किलोवॉट से ऊपर सिंगल फ़ाईट थोक आपूर्ति	Rs. 35 / kVA	Rs 4.45/ kVAh	60 kVAh /kVA /month & 720 kVAh/ kVA/ annum	Rs. 45/ kVA	Rs 5.65/ kVAh	60 kVAh /kVA /month & 720 kVAh/ kVA/ annum	Rs. 45 / kVA	Rs 4.65/ kVAh	50 kVAh /kVA /month & 600 kVAh/ kVA/ annum
4	स्वतंत्र विज्ञापन बोर्डिंग	अन्य अघरेलू उपभोक्ताओं में सम्मिलित			Rs. 200 / kW	Rs. 8.00/kWh		Rs. 60/ kW	Rs. 4.90/kWh	

आर0टी0एस0-3 : पब्लिक लैप्स टैरिफ

तालिका 5 : पब्लिक लैप्स हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-3 : पब्लिक लैप्स						
3.1 शहरी	Rs. 30/kW	Rs. 4.10/ kWh	Rs. 40/kW	Rs. 5.15/ kWh	Rs. 40/kW	Rs. 4.35/ kWh
3.2 ग्रामीण	Rs. 30/kW	Rs. 4.10/ kWh	Rs. 40/kW	Rs. 5.15/ kWh	Rs. 35/kW	Rs. 4.35/ kWh

आर0टी0एस0-4 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

तालिका 6 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

वर्ग	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ			अनुमोदित		
	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	न्यूनतम शुल्क	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	न्यूनतम शुल्क	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	न्यूनतम शुल्क
आर0टी0एस0-4 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स									
मीटर्ड	Nil	Rs. 1.10/ kWh	70 units/ BHP/ month & 840 units /BHP/ annum	Nil	Rs. 1.40/ kWh	70 units/ BHP/ month & 840 units /BHP/ annum	Nil	Rs. 1.40/ kWh	60 units/ BHP/ month & 720 units /BHP/ annum
आर0टी0एस0-4 ए : कृषि सम्बन्धित गतिविधियों									
मीटर्ड							Nil	Rs. 2.25/ kWh	60 units/ BHP/ month & 720 units /BHP/ annum

आर0टी0एस0-5 : गवर्नमेंट इरिगेशन सिस्टम हेतु टैरिफ

तालिका 7 : गवर्नमेंट इरिगेशन सिस्टम हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-5 : गवर्नमेंट इरिगेशन सिस्टम						
75 किलोवॉट तक	Rs. 30/kW	Rs. 4.10/ kWh	Rs. 40/kW	Rs. 5.15/ kWh	Rs. 40/kW	Rs. 4.35/ kWh
75 किलोवॉट से ऊपर	Rs. 30/kVA	Rs. 3.95/ kVAh	Rs. 40/kVA	Rs. 5.00/ kVAh	Rs. 40/kVA	Rs. 4.20/ kVAh

आर0टी0एस0-6 : पब्लिक वॉटर वर्क्स हेतु टैरिफ

तालिका 8 : पब्लिक वॉटर वर्क्स हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
शहरी	Rs. 30/kVA	Rs. 4.00/ kVAh	Rs. 45/kW	Rs. 5.10/ kWh	Rs. 40/kVA	Rs. 4.25/ kVAh
			Rs. 45/kVA	Rs. 5.10/ kVAh		
ग्रामीण	Rs. 30/kVA	Rs. 4.00/ kVAh	Rs. 45/kVA	Rs. 5.10/ kVAh	Rs. 35/kVA	Rs. 4.25/ kVAh

आर0टी0एस0-7 : इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

तलिका 9 : एल0टी0 इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

वर्ग	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ			अनुमोदित		
	स्थिर (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	एम0सी0जी0	स्थिर (प्रति माह)	विद्युत प्रभार	एम0सी0जी0	स्थिर (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	एम0सी0जी0
आर0टी0एस0-7 : इंडस्ट्रीज									
एल0टी0 इंडस्ट्रीज									
1. एल0टी0 इंडस्ट्रीज (25 किलोवॉट तक)	Rs. 100/ kW	Rs 3.75/ kWh	*60 kWh/ kW/month & 720 kWh /kW/annum	Rs. 130/ kW	Rs 4.65/ kWh	*60 kWh/ kW/month & 720 kWh /kW/annum	Rs. 105/ kW	Rs 3.95/ kWh	*50 kWh/ kW/month & 600 kWh /kW/annum
2. एल0टी0 इंडस्ट्रीज (25 किलोवॉट से ऊपर और 75 किलोवॉट तक)	Rs. 100/ kVA	Rs 3.40/ kVAh	60 kVAh/ kVA/month & 720 kVAh /kVA/ annum	Rs. 130/ kVA	Rs 4.30/ kVAh	60 kVAh/ kVA/month & 720 kVAh /kVA/ annum	Rs. 105/ kVA	Rs 3.60/ kVAh	50 kVAh/ kVA/month & 600 kVAh /kVA/ annum

\*30 kWh/kV/month and 360 kWh/kV/वार्षिक आटा चक्की हेतु।

तलिका 10 : एच0टी0 इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

वर्ग	वर्तमान टैरिफ				UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ				अनुमोदित			
	लोड फैक्टर#	रू0/ kVAh	स्थिर/ डिमांड प्रति माह	एम0सी0जी0	लोड फैक्टर#	रू0/ kVAh	स्थिर/ डिमांड प्रति माह	एम0सी0जी0	लोड फैक्टर#	रू0/ kVAh	स्थिर/ डिमांड प्रति माह	एम0सी0 जी0
आर0टी0एस0-7 : इंडस्ट्रीज												
एल0टी0 इंडस्ट्रीज												
1000 kVA तक अनुबन्धित लोड	Upto 33%	3.05	Rs. 210/kVA of the billable demand	110 kVAh/kVA of contracted load/month & 1320 kVAh/kVA of contracted load / annum	upto 33%	3.85Rs/ kVAh	Rs. 270/kVA of the billable demand*	110 kVAh/kVA of contracted load/month & 1320 kVAh/kVA of contracted load/ annum	Upto 40%	3.40	Rs. 230/kVA of the billable demand	100 kVAh/ kVA/month & 1200 kVAh /kVA/ annum
	33% to 50%	3.30			33% to 50%	4.15 Rs/kVAh			Above 40%	3.75		
	Above 50%	3.60			Above 50%	4.55 Rs/kVAh			Above 40%	3.75		
1000 kVA से अधिक अनुबन्धित लोड	upto 33%	3.05	Rs. 270/kVA of the billable demand	1320 kVAh/kVA of contracted load / annum	upto 33%	3.85Rs/ kVAh	Rs.345/kVA of the billable demand*	1320 kVAh/kVA of contracted load/ annum	Upto 40%	3.40	Rs. 290/kVA of the billable demand	
	33% to 50%	3.30			33% to 50%	4.15 Rs/kVAh			Above 40%	3.75		
	Above 50%	3.60			Above 50%	4.55 Rs/kVAh			Above 40%	3.75		

आर0टी0एस0-8 : मिश्रित भार हेतु टैरिफ

तलिका 11 : मिश्रित भार हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		टैरिफ डिजाइन	
	स्थिर/ डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/ डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/ डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-8 : मिश्रित भार						
डिम्ड लाईसेंस के रूप में एम0ई0एस0 सहित 75 किलोवॉट से ऊपर मिश्रित भार सिंगल फ़ाईट थोक आपूर्ति	Rs. 40/ kW	Rs. 3.80/ kWh	Rs. 50/ kW	Rs. 4.80/ kWh	Rs. 50/ kW	Rs. 4.15/ kWh

आर0टी0एस0-9 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

तलिका 12 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		टैरिफ डिजाइन	
	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/डिमांड प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
रेलवे ट्रैक्शन	Rs. 190/KVA	Rs. 3.25/kVAh	Rs. 240/KVA	Rs. 4.10/kVAh	Rs. 200/KVA	Rs. 3.60/kVAh

\*\*\*\*